न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3110–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–2–2013 पारित द्वारा अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 347–पीबीआर/13.

वासुदेव पुत्र भंवर सिंह गुर्जर
निवासी ग्राम देवगढ़
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. राज्य शासन .....अनावेदक

श्री एस.के श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–2–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम देवगढ़ स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 630 रकबा 3.336 हेक्टेयर के सम्बन्ध में आवेदक के विरूद्ध शिकायत कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी, डबरा से करायी गई, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम फर्जी रूप से दर्ज होना पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त बिलौआ तहसील डबरा को प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम की अवैध प्रविष्टि को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 696/09–10/बी–121 दर्ज कर दिनांक 1–9–2010 को

आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक के नाम की प्रविष्टि निरस्त की गई । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 1/2010–11/अपील दर्ज कर दिनांक 28–9–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–9–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–2–2013 को आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई । राजस्व मण्डल के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के समक्ष जो बिन्दु उठाये गये थे, उन पर कोई विचार नहीं किया गया है और बिना अभिलेख बुलाये तथ्यों के विपरीत आदेश पारित करने में भूल की गई है, जो कि अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि होकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश एवं प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में आवेदक को उसके वैधानिक स्वत्वों से वंचित नहीं किया जा सकता है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिपादित न्याय सिद्धान्तों को दृष्टि ओझल कर तहसील न्यायालय के अधिकारिता रहित एवं निष्प्रभावी आदेश को यथावत रखने में त्रुटि की गई है, जो कि पुनर्विलोकन का आधार है । उनके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायत की जांच में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम की फर्जी प्रवष्टि पाई गई है, जिसके आधार पर अवैध प्रविष्टि को दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसील न्यायालय द्वारा दिये गये हैं । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश को अधीनस्थ न्यायालयों सहित इस न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया ।

कि संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु जो आधार दिये गये हैं, उन आधारों में से कोई भी आधार आवेदक द्वारा नहीं दर्शाया गया है । उनके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाये गये तर्कों में ऐसा कोई आधार स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–2–2013 का पुनर्विलोकन किया जाये । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो कि पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । अभिलेख से स्पष्ट है कि नामान्तरण की कार्यवाही फर्जी पाई गई है, इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा अपने मूल आदेश में विस्तार से विवेचना की गई है । अतः इस प्रकरण में पुनर्विलोकन हेतु विचारणीय कोई बिन्दु नहीं होने से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–2–2013 स्थिर रखा जाता है । पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर